न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 222/14 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2014/00153

अनवान्

1. श्री शंकर पिता चमना बलाई निवासी रठुजणा मजेरा, तहसील नाथद्वारा।

.....प्रार्थी

बनाम

1. रतनकुमारी माता मोहन देवी कोरिया टांक निवासी पलानाखुर्द तहसील मावली।
2. श्री लक्ष्मण पिता गणेश माता गणेशीबाई बलाई निवासी वारणी तहसील मावली।
3. श्री पिन्टु पिता गणेश माता गणेशीबाई बलाई निवासी वारणी तहसील मावली।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।
5. उप पंजीयक अधिकारी उप पंजीयन कार्यालय मावली तहसील मावली।
6. पटवारी, पटवार हल्का पलानाखुर्द तहसील मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री सम्पत सामोता, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1
3. श्री शंकरलाल डांगी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2, 3

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 16.04.2025

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा मण्डप पटवार हल्का पलानाखुर्द तहसील मावली की आराजी नम्बर 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654 किता 11 कुल रकबा 20 बीघा 13 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज है।
2. यह कि प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 2, 3 का सजरा खानदान निम्न प्रकार है :–

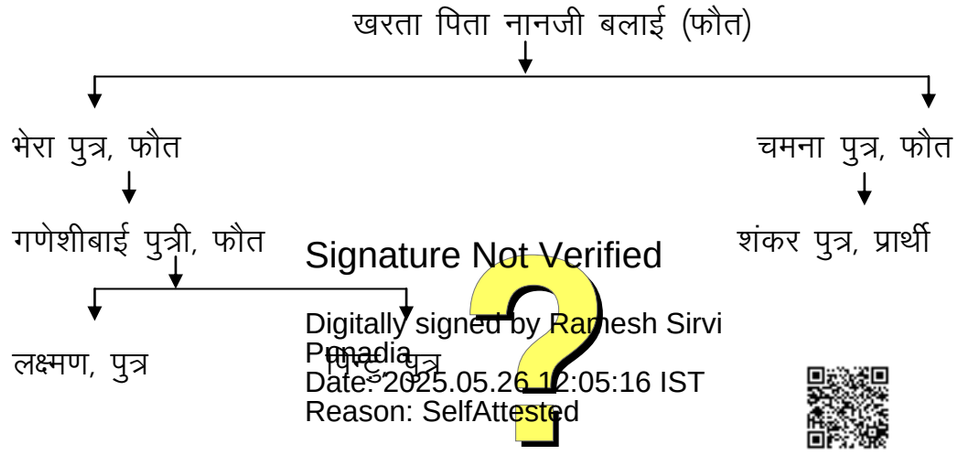

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:05:16 IST
Reason: SelfAttested

उक्त सजरे अनुसार हमारे मुल पुरूष खरता जी थे जिनके दो पुत्र भेरा, चमना हुए। भेरा के एक पुत्री गणेशी हुई जिसका निधन हो चुका है जिसके पुत्र लक्ष्मण व पिन्टु विपक्षी संख्या 2, 3 हैं। इसी प्रकार चमना का भी निधन हो चुका है जिसका पुत्र शंकर (प्रार्थी) हैं।

3. यह कि उक्त वर्णित भूमि मुझ प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 2, 3 की पैतृक कृषि भूमि है जो पूर्व में हमारे मौरूस श्री खरता पिता नानजी बलाई के नाम पर राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज थी तथा खरता के देहावसान के पश्चात् विरासत से उनके पुत्र श्री भेरा, श्री चमना के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकन हुई है। श्री भेरा एवं श्री चमना का भी स्वर्गवास हो चुका है। भेरा की वारिस पुत्री गणेशीबाई थी जिसका भी देहावसान हो चुका है जिसके पुत्र विपक्षी संख्या 2, 3 है तथा चमना का पुत्र प्रार्थी शंकर है जिससे वर्तमान में उक्त वर्णित कृषि भूमि विरासत में मुझ प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 2, 3 को प्राप्त हुई है और अपने–अपने हक हिस्सेनुसार मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं। हमारे मौरूस श्री भेरा एवं श्री चमना द्वारा आज से कई वर्षो पूर्व विपक्षी संख्या 1 के पिता श्री रामलाल जी के पास उक्त वर्णित कृषि भूमि गिरवी रखी थी और कुछ रूपया प्राप्त किया था। तत्पश्चात् हमारे मौरूस ने श्री रामलाल जी को गिरवी की सारी राशि अदा कर दी और अपनी भूमि का आधिपत्य भी पुनः मौके पर प्राप्त कर लिया था और तब से निरन्तर निर्बाध रूप से हमारे मौरूस तथा उनकी मृत्यु के बाद मैं प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 2, 3 काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है किन्तु विपक्षी संख्या 1 के पिता श्री रामलाल जी ने हमारे मौरूसान के अनपढ एवं ग्रामीण होने का नाजायज फायदा उठाकर धोखाधडी पूर्वक गिरवी के बजाय रामलाल जी ने उनकी पत्नी मोहनदेवी के नाम पर विक्रय की लिखापढी करा दी और राजस्व अधिकारियों से सांठ गांठ कर उक्त भूमि को अपने नाम पर दर्ज करवा दी जबकि हमारे मौरूस द्वारा कभी भी इन्हे हमारी जमीन विक्रय नहीं की थी, केवलमात्र गिरवी रखी थी। इसलिए हमारे मौरूसान से फर्जी तरीके से एवं धोखाधडी पूर्वक कराया गया हस्तान्तरण हमारे मुकाबले स्वतः ही शून्य एवं निष्प्रभावी हैं।

4. यह कि विपक्षी संख्या 1 की जाति टांक है तथा हमारी जाति बलाई है जिससे भी विपक्षी संख्या 1 की माता मोहनदेवी के पक्ष में किया गया विक्रय अवैद्य है क्योंकि अनुसूचित जाति का व्यक्ति अन्य जाति वर्ग के सदस्यो को अपने खातेदारी की भूमि को हस्तान्तरित नहीं कर सकता है केवलमात्र अपने सजातीय वर्ग के सदस्यों को ही हस्तान्तरित कर सकता है। जिससे स्पष्ट है कि हमारे मौरूसान ने विपक्षी संख्या 1 की माता को कभी कोई भूमि विक्रय नहीं की किन्तु हमारे मौरूसान से धोखाधडी पूर्वक फर्जी तरीके से विक्रय पत्र का निष्पादन मोहनदेवी के पक्ष में करा देने की वजह से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:05:16 IST
Reason: SelfAttested

मोहनदेवी एवं इसके पति रामलाल ने उक्त फर्जी विक्रय पत्र के जरिये भूमि मोहनदेवी के नाम रेकार्ड में दर्ज करवा दी तथा मोहनदेवी की मृत्यु के बाद उसके अन्य वारिसान द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में हक त्याग कर देने की वजह से मोहनदेवी के नाम दर्ज तमाम कृषि भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज की गई जबकि मौके पर हमारे मौरूसान के जीवनकाल से हमारा निरन्तर निर्बाध रूप से कब्जा अधिकार सहित चला आ रहा है और आज भी हमारा ही कब्जा काश्त है। इसलिए मैं प्रार्थी उक्त वर्णित भूमि का 1/2 हिस्सा मुझ प्रार्थी के नाम एवं 1/2 हिस्सा विपक्षी संख्या 2, 3 के नाम खातेदारी हक का घोषित करा राजस्व रेकार्ड में नाम पर दर्ज कराने का अधिकारी हूं। जिसके लिए माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया हैं।

5. यह कि मुझ प्रार्थी का प्राइमाफैसी केस है क्योंकि उक्त भूमि मुझ प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि है तथा हमारे मौरूसान द्वारा कभी भी उक्त जमीन को विपक्षी संख्या 1 की माता को विक्रय नहीं की गई है, केवल मात्र उक्त भूमि विपक्षी संख्या 1 के पिता रामलाल के पास गिरवी थी और कुछ समय बाद गिरवी का रूपया चुकाकर जमीन को गिरवी से छुडा दी थी जिस पर निरन्तर निर्बाध रूप से कब्जा हमारे मौरूस व हमारा चला आ रहा है किन्तु विपक्षी संख्या 1 के पिता रामलाल ने हमारे मौरूस के ग्रामीण एवं अनपढ होने का फायदा उठाते हुए धोखाधडी पूर्वक गिरवी की लिखापढी के स्थान पर विक्रय की लिखापढी अपनी पत्नी मोहनदेवी के नाम पर करा दी और विक्रय पत्र में भी गलत जाति कोरिया अंकन कर नामान्तरकरण स्वीकृत करवा जमीन मोहनदेवी के नाम दर्ज करवा दी जबकि हमारे मौरूस ने कभी जमीन नहीं बेची है और कानूनन भी यह विक्रय अवैद्य है क्योंकि उक्त जमीन पूर्व में अनुसूचित जातिवर्ग के व्यक्ति की खातेदारी में दर्ज थी और विपक्षी संख्या 1 की माता की जाति टांक है जो अन्य पिछडा वर्ग में आती है और विपक्षी संख्या 1 की माता की जाति टांक है जो अन्य पिछडा वर्ग में आती है और विपक्षी संख्या 1 राजकीय कर्मचारी होकर अध्यापिका है जिसके राजकीय रेकार्ड में जाति टांक ही दर्ज हैं। वर्तमान में जमीन विपक्षी संख्या 1 के नाम पर दर्ज है और विपक्षी संख्या 1 उक्त हमारे कब्जे काश्त की जमीन को अनाधिकार रूप से हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करने की धमकीया दे रही है जबकि विपक्षी संख्या 1 को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं प्रार्थी विपक्षी संख्या 1 के विरूद्व इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूं कि विपक्षी संख्या 1 उक्त वर्णित आराजीयात में मुझ प्रार्थी व विपक्षी संख्या 2, 3 के कब्जे काश्त की भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को रहन, बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे और हमको शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें [illegible] नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावें अगर विपक्षी संख्या 1 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो मुझ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:05:16 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी को भारी क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयो पैसों में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन भी मुझ प्रार्थी के पक्ष में है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्ष्झी संख्या 1 को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं हैं।

6. यह कि मुझ प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 30.11.2014 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी संख्या 1 ने मौके पर आकर मुझ प्रार्थी को धमकी दी कि वो उक्त जमीन को अन्य व्यक्तियों को विक्रय कर खुर्द बुर्द कर देगी। तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। अन्त में निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी के पक्ष में व विपक्षीगण के विरूद्व इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमाई जावे कि विपक्षी संख्या 1 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में मुझ प्रार्थी व विपक्षी संख्या 2, 3 के कब्जे काश्त की भूमि को अन्य किसी व्यक्ति को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे और मुझ प्रार्थी व विपक्षी संख्या 2, 3 को हमारे हिस्से कब्जे की भूमि शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावे तथा विपक्षी संख्या 5 को पाबंद किया जावे कि विपक्षी संख्या 1 उक्त आराजीयात से संबंधित किसी भी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत करे तो ताफैसला वाद उसका पंजीयन नहीं करे और विपक्षी संख्या 4, 6 ताफैसला वाद राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें।

7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 2, 3 को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं किया। विपक्षी सं. 1 द्वारा जवाब एवं काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त वर्णित भूमि भेरा, चमना पिता खरता बलाई के नाम पर दर्ज थी जिनसे मुझ विपक्षीया की माता मोहनदेवी कोरिया ने क्रय की। क्रयोपरान्त उक्त भूमि मुझ विपक्षीया की माता के नाम पर दर्ज हुई और कालान्तर में उनके फौत हो जाने से मुझ विपक्षीया रतनकुमारी के नाम पर दर्ज हुई। भेरा एवं चमना तत्समय पूर्ण प्रतिफल लेकर उक्त वर्णित कृषि भूमि का विक्रय पत्र मुझ विपक्षीया की माता के पक्ष में करवाया जिससे उनके नाम पर उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई हैं। प्रार्थी ने मात्र वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की गरज से मिथ्या तथ्यों पर वर्णन किया है। जो विक्रय पत्र मुझ विपक्षी की माता के पक्ष में करवाया वह पूर्ण रूपेण सही होकर पूर्ण रूप से प्रभावशाली हैं। मुझ विपक्षीया के पिता ने मुझ विपक्षीयां की माता मोहनदेवी से नाता विवाह किया था जिनकी जाति कोरिया थी जो राजस्थान सरकार द्वारा जारी अनुसूचित जाति की श्रेणी में आती है जिससे भी स्पष्ट है कि जो विक्रय पत्र भेरा, चमना द्वारा मुझ विपक्षीया की माता के पक्ष में निष्पादित किया गया है वह पूर्णतया विधिक प्रावधानों में होकर अवैध नहीं हुई है, न ही कोई फर्जीवाडा मुझ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:05:16 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षीया की माता अथवा पिता ने तत्कालीन खातेदारान के साथ किया है मात्र झूठे एवं मिथ्या तथ्यो पर आधारित दावे पर मुझसे उपरोक्त भूमि जबरन छीनना चाहते है जिनका उन्हे कोई हक नहीं हैं। वक्त खरीद से मुझ विपक्षीया की माता एवं उनके निधनोपरान्त मुझ विपक्षीया का वाद वर्णित भूमि पर कब्जा निर्विवाद, निरन्तर चला आ रहा है जिसमें दखल करने का प्रार्थी अथवा अन्य किसी को कोई हक अधिकार नहीं है। प्रार्थी अथवा अन्य विपक्षी उपरोक्त भूमि को अपने नाम पर दर्ज कराने के लिए किसी भी सूरत में अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद एवं प्रार्थना पत्र मिथ्या एवं मनगढन्त तथ्यों पर आधारित होने से अन्ततः खारिज होगा।

8. यह कि प्रार्थी का किसी भी दृष्टि से प्राईमाफैसी मामला नहीं है। प्रार्थी ने मिथ्या एवं मनगढन्त तथ्यों पर आधारित वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो सव्यय निरस्त होने योग्य हैं। जो जमीन वर्ष 1974 में ही भेरा, चमना द्वारा विपक्षीया की माता को विक्रय की जा चुकी है इतने वर्ष बाद इस प्रकार के कथन करना अपने आपमें सन्देह पैदा करता है कि प्रार्थी की नियत साफ नहीं है। वह येनकेन प्रकारेण मुझ विपक्षीया को ब्लेकमेल कर रकम हडपना चाहता है। जो विक्रय पत्र तत्समय के खातेदार भेरा व चमना द्वारा मुझ विपक्षीया की माता के पक्ष में निष्पादित किया है वह पूर्णतया विधिक प्रावधानों के अनुरूप होकर प्रभावशाली है क्योंकि मुझ विपक्षीया की माता मोहनदेवी की जाति कोरिया थी जो राजस्थान सरकार द्वारा जारी अनुसूचित जाति की श्रेणी में आती है जिससे भी स्पष्ट है कि जो विक्रय पत्र तत्समय निष्पादित हुआ है वह पूर्ण रूप से सभी विधिक प्रावधानों के अनुकुल हुआ है न कि किसी कानून के उल्लघंन में तथा जो भूमि मुझ विपक्षीया के नाम दर्ज हुई है वह सही दर्ज हुई है। प्रार्थी किसी भी आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा मुझ विपक्षीया के खिलाफ न्यायालय हाजा से जारी कराने का अधिकारी नहीं है क्योंकि विवादित भूमि पर वक्त खरीद से मुझ विपक्षीया की माता एवं माता के निधन के बाद मैं विपक्षीया मौके पर अनवरत काबिज हो उपयोग उपभोग करती आ रही हूं और आज भी काबिज हूं, मौके पर प्रार्थी या अन्य विपक्षीगण का कोई कब्जा कभी भी नहीं रहा है। यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई तो मुझ विपक्षीया के जायज हक अधिकारों पर भारी कठुराघात होगा और प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरित होगा। प्रार्थी को किसी भी सूरत में कोई अशोधनीय क्षति नहीं होगी, न ही किसी भी प्रकार से सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी मिथ्या तथ्यों पर वाद व प्रार्थना पत्र लेकर आया है जिसमें वो कतई सफल होने वाला नहीं हैं। प्रार्थी एवं अन्य विपक्षीगण मुझ विपक्षीया के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में दखलन्दाजी कर रहे है इसलिए मैं विपक्षीया इनके विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने की अधिकारी हूं जिसके लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:05:16 IST
Reason: SelfAttested

9. यह कि प्रार्थी को मुझ विपक्षीया के विरूद्व कोई प्रार्थना पत्र कारण उत्पन्न नहीं हुआ हैं। प्रार्थी ने मात्र मिथ्या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की नियत से झूठा प्रार्थना पत्र कारण बताया हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत एवं मिथ्या कथना पर आधारित होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें।

10. **काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया** कि मौजा मण्डप पटवार हल्का पलानाखुर्द तहसील मावली की आराजी नम्बर 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654 किता 11 कुल रकबा 20 बीघा 13 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में मुझ विपक्षीया संख्या 1 के नाम स्वतन्त्र रूप से अंकित हैं। वादग्रस्त कृषि भूमि मुझ विपक्षीया के नाम खातेदारी हक से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है और मैं विपक्षीया उक्त भूमि की खातेदार काश्तकार हूं जो मुझ विपक्षीया को मेरी माता से विरासत एवं हक त्याग से प्राप्त हुई है जिस पर वक्त खरीद से मेरी माता काबिज हो काश्त करती आ रही है तथा मेरी माता की मृत्यु पश्चात मैं विपक्षीया इस भूमि पर काबिज हो उपयोग उपभोग निरन्तर निर्बाध रूप से करती आ रही हूं जिसमें प्रार्थी अथवा अन्य विपक्षीगण का कोई हक व अधिकार कब्जा कभी भी नहीं रहा है और न ही वर्तमान में हैं। वादग्रस्त कृषि भूमि की मैं विपक्षीया खातेदार काश्तकार हूं और उक्त कृषि भूमि पर काबिज हो उपयोग उपभोग कर रही हूं जिसमें प्रार्थी का या अन्य विपक्षीगण का कोई हक दखल अधिकार नहीं है लेकिन प्रार्थी एवं अन्य विपक्षीगण मुझ विपक्षीया की खातेदारी एवं कब्जे की कृषि भूमि में दखलन्दाजी करते है और मुझ विपक्षीया को मेरे स्वामित्व आधिपत्य की कृषि भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग नहीं करने दे रहे है और मुझ विपक्षीया को बेदखल कर उक्त जमीन पर कब्जा करने की धमकीयां दे रहे है जबकि प्रार्थी, विपक्षीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं। इसलिए मैं विपक्षीया, प्रार्थी एवं अन्य विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने की अधिकारी हूं।

11. यह कि मुझ विपक्षीया का प्रथम दृष्टया मामला है क्योंकि काउन्टर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात की मैं विपक्षीया खातेदार काश्तकार हुं और मैं विपक्षीया अपने खातेदारी की कृषि भूमि पर काबिज हो निरन्तर शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करती आ रही हूं जिसमें प्रार्थी, अन्य विपक्षीगण का कोई हक व अधिकार नहीं है फिर भी प्रार्थी अन्य विपक्षीगण से मिलीभगत कर नाजायज रूप से मुझ विपक्षीया को तंग परेशान कर मेरी खातेदारी की भूमि पर कब्जा कर मुझ विपक्षीया को बेदखल करने पर आमादा हो रहा है। जबकि प्रार्थी को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं हैं। इसलिए मैं विपक्षीया, प्रार्थी एवं अन्य विपक्षीगण के विरूद्व इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने की अधिकारी हूं कि प्रार्थी, अन्य विपक्षीगण काउन्टर प्रार्थना पत्र में वर्णित मुझ विपक्षीया की खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, न कब्जा करे, न निर्माण करे, मुझ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:05:16 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षीया के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न ही अपने नौकर चाकर एजेन्ट आदि के मार्फत ही करावें। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रार्थी व अन्य विपक्षीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं है बल्कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से मुझ विपक्षीया को भारी क्षति होगी और उसका मूल्यांकन रूपयो पैसो में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी मुझ विपक्षीया के पक्ष में है क्योंकि मै विपक्षीया उक्त कृषि भूमि की खातेदार काश्तकार हूं।

12. यह कि प्रार्थी एवं अन्य विपक्षीगण के विरूद्व काउन्टर प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 01.11.2015 को उत्पन्न हुआ जब प्रार्थी एवं अन्य विपक्षीगण ने मुझ विपक्षीया की खातेदारी की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा कर बेदखल करने की धमकी दी तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। अन्त में निवेदन किया कि मुझ विपक्षीया संख्या 1 का काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी एवं अन्य विपक्षीगण के विरूद्व निम्न आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रार्थी एवं अन्य विपक्षीगण काउन्टर प्रार्थना पत्र में वर्णित मुझ विपक्षी संख्या 1 की खातेदारी हक की कृषि भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, न कब्जा करे, मुझ विपक्षीया को मेरे खातेदारी हक की कृषि भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, किसी प्रकार का निर्माण नहीं करे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न ही उक्त कार्य अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से करावें।

13. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 द्वारा लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि मौजा मण्डप पटवार हल्का पलानाखुर्द तहसील मावली हाल घासा की आराजी संख्या 644 से लगायत 654 होकर किता 11 कुल रकबा 20 बीघा 13 बिस्वा है, उक्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 रतन कुमारी के नाम पर राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। वाद वर्णित भूमि पूर्व मे भेरा, चमना पिता खरता बलाई के नाम पर दर्ज थी जिनसे मुझ विपक्षी संख्या 1 की माता मोहन देवी कोरिया ने क्रय की थी, क्रयोपरान्त वाद वर्णित भूमि मुझ विपक्षी संख्या 1 की माता मोहन देवी के नाम पर जरिये इन्तकाल संख्या 122 से दर्ज हुई, तब से लेकर उनके जीवनकाल तक उक्त वर्णित भूमि मेरी माता मोहन देवी के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज रही इनके निधनोपरान्त उक्त वाद वर्णित भूमि मुझ विपक्षीया के नाम पर दर्ज हुई तथा वर्तमान में भी वाद वर्णित भूमि मुझ विपक्षी संख्या 1 के नाम पर राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। क्रय की दिनांक से मेरी माता तत्पश्चात उनके निधनोपरान्त मैं विपक्षीया उक्त वर्णित भूमि पर काबिज होकर काश्त कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:05:16 IST
Reason: SelfAttested

रही हूं। जो विक्रय पत्र मुझ विपक्षीया की माता मोहनदेवी के पक्ष में भेरा, चमना द्वारा निष्पादित किया गया था वह विधि की पूर्ण प्रक्रिया के अनुसरण में निष्पादित किया गया था। मुझ विपक्षीया के पिता द्वारा मुझ विपक्षीया की माता मोहनदेवी से नाता विवाह किया गया था जिसकी जाति कोरिया थी, जो राजस्थान सरकार द्वारा जारी अनुसूचित जाति की श्रेणी में आती है, जिससे भी स्पष्ट है कि जो विक्रय पत्र विक्रेतागण द्वारा मुझ विपक्षीया की माता मोहनदेवी के पक्ष में निष्पादित किया गया है उसमें किसी भी प्रकार की विधिक प्रक्रियाओ की अनदेखी नहीं हुई है, प्रार्थी एवं अन्य विपक्षीगण आपस में दुरभीसंधि कर तथाकथित भूमाफियाओ के बहकावे में आकर मुझ विपक्षीया को तंग व परेशान कर मुझसे अन्यत्र लाभ प्राप्त करना चाहते है, जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं हैं। भेरा, चमना द्वारा मेरी माता मोहन देवी के पक्ष में जो रजिस्टर्ड दस्तावेज वर्ष 1974 में निष्पादित किया गया था। उक्त दस्तावेज के निष्पादन के करीब 50 वर्ष उपरान्त हस्तगत प्रकरण प्रस्तुत करना अपने आपमें प्रार्थी की मंशा को जाहिर कर रहा है। इतने वर्ष उपरान्त इस तरह के वैद्य एवं बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित प्रकरण प्रस्तुत करना अपने आपमें संदेह पैदा करता है कि प्रार्थी की नियत साफ नहीं हैं। मौके पर प्रार्थी या अन्य विपक्षीगण का इंच मात्र भूमि पर भी कोई कब्जा काश्त भुगत भोग नहीं रहा हैं।

14. यह कि प्रार्थी का किसी भी सूरत में कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादन के 50 वर्ष उपरान्त उक्त वाद प्रस्तुत करने से स्पष्ट है कि प्रार्थी का कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है, न ही सुविधा संतुलन अथवा अशोधनीय के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है, यदि किसी भी आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी एवं अन्य विपक्षीगण के पक्ष में जारी की जाती है तो मुझ विपक्षी संख्या 1 के जायज हक व अधिकारों पर जो कुठाराघात होगा उसका मूल्यांकन रूपयो में किया जाना असंभव हैं। मैं विपक्षी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि की खातेदार काश्तकार हूं जो भूमि मुझ विपक्षी संख्या 1 को मेरी माता से जरिये विरासत एवं हक त्याग से प्राप्त हुई है, जिस पर वक्त खरीद से मेरी माता काबिज होकर काश्त करती आ रही थी तथा मेरी माता की मृत्यु के उपरान्त मैं विपक्षीया उक्त भूमि पर काबिज होकर निरन्तर निर्बाध रूप से काश्त करती चली आ रही हूं जिसमें प्रार्थी अथवा अन्य विपक्षीगण का कोई हक व अधिकार अथवा कब्जा न तो रहा है न ही वर्तमान में हैं। प्रार्थी एवं अन्य विपक्षीगण तथाकथित भूमाफियाओं के बहकावे में आकर मुझ विपक्षीया को नाजायज रूप से तंग व परेशान कर मेरी खातेदारी भूमि पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा कर मुझसे रूपया ऐंठना चाहते है जिसका इन्हे कोई अधिकार नहीं हैं। अतः मुझ विपक्षीया के पक्ष में विरूद्व प्रार्थी एवं अन्य विपक्षीगण अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्या[illegible] अत्यन्त आवश्यक है कि प्रार्थी एवं अन्य विपक्षीगण मुझ विपक्षीया के शांतिपूर्वक [illegible] उपभोग में किसी तरह की कोई बाधा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:05:16 IST
Reason: SelfAttested

उत्पन्न नहीं करे, न ही किसी तरह की दखलन्दाजी करे और मुझ विपक्षीया को मेरी खातेदारी भूमि को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे। उपरोक्त कार्य न तो प्रार्थी स्वयं करे न ही अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से करावे क्योंकि मैं विपक्षीया वादग्रस्त भूमि की खातेदार काश्तकार हूं। प्रार्थी को मुझ विपक्षी संख्या 1 के विरूद्व दिनांक 30.11.2014 को कोई प्रार्थना पत्र कारण उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि जब प्रार्थी वाद वर्णित भूमि पर काबिज काश्त ही नहीं है तो उसे धमकी देने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है मात्र प्रकरण प्रस्तुत करने के लिए प्रार्थी द्वारा मिथ्या प्रार्थना पत्र कारण अंकित किया गया हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को सव्यय खारिज फरमाया जाकर मुझ विपक्षीया संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जावें।

15. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है जो इस प्रकार है :–

1. *प्रथम दृष्टया मामला–* प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी सं. 1 के नाम खातेदारी हक दर्ज है। प्रार्थी उक्त भूमि के वर्तमान में खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया हैं। प्रार्थी का कथन है कि उक्त वादग्रस्त भूमि मौरूसी सम्पति है मौरूसी सम्पति में मेरा भी हक हिस्सा निहित है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में विपक्षी संख्या 1 की माता मोहन देवी के नाम दर्ज थी। मोहनदेवी के फौत होने पर वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम विरासत से दर्ज हुई। वादग्रस्त भूमि को विपक्षी संख्या 1 की माता मोहनदेवी द्वारा क्रय करना बताया हैं। विपक्षी संख्या 1 खातेदार काश्तकार हैं। ऐसी स्थिति में खातेदार के विरूद्ध टी.आई नही दी जा सकती है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।
2. *सुविधा का संतुलन–* प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी खातेदार काश्तकार नहीं होकर विपक्षी संख्या 1 खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थीया की माता द्वारा वादग्रस्त भूमि को वर्ष 1974 में क्रय की गई जिसे लगभग 51 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। यदि वर्तमान खातेदारो के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है। तो उनको अपने परिवार के पालन पोषण में कठिनाईयां उत्पन्न होगी। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थी के विरूद्ध साबित होने से सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्ध होता हैं। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:05:16 IST
Reason: SelfAttested

3. *अपूरणीय क्षति*– चूंकि प्रकरण में प्रार्थनाग्रस्त भूमि विपक्षी सं. 1 के नाम खातेदार के रूप में दर्ज हैं। प्रार्थी खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाना चाहता है। खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो उसके हक अधिकारो पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन के बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्व निर्णित हुए हैं। अतः उक्त बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

16. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा मण्डप पटवार हल्का पलानाखुर्द तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2068–71 की खाता संख्या 156 पर दर्ज आराजी नम्बर 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654 किता 11 कुल रकबा 20 बीघा 13 बिस्वा भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम तन्हा खातेदारी रूप में दर्ज हैं। प्रार्थी द्वारा अपनी पैतृक सम्पति में हिस्से की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा भी जरिये काउन्टर प्रार्थना पत्र प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 2, 3 को पाबंद करवाना चाहती हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि विपक्षी संख्या 1 वर्तमान में वादग्रस्त भूमि के खातेदार हैं। वादग्रस्त भूमि पूर्व में भेरा, चमना पिता खरता बलाई के नाम दर्ज थी। भेरा, चमना पिता खरता द्वारा वादग्रस्त आराजीयात को विपक्षी संख्या 1 की माता मोहन देवी को सन् 1974 में विक्रय की गई जिसके फलस्वरूप विक्रय पत्र के आधार पर विपक्षी संख्या 1 की माता मोहन देवी का नाम दर्ज हुआ एवं मोहनदेवी के देहावसान के पश्चात् विरासत से विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई।

वादग्रस्त आराजीयात विक्रय पत्र सन् 1974 के आधार पर विपक्षी संख्या 1 की माता के नाम दर्ज हुई जिसके लगभग 51 वर्ष बाद प्रार्थी द्वारा वाद प्रस्तुत कर घोषणा चाही गई है। विपक्षी संख्या 1 की माता द्वारा वादग्रस्त भूमि को पूर्ण प्रतिफल अदा कर क्रय कर कब्जा प्राप्त किया हैं। विपक्षी संख्या 1 की माता सद्भावी क्रेता हैं। प्रार्थी, विपक्षी संख्या 1 खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा चाहता हैं जबकि खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो इससे खातेदारो के हक अधिकारो पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा एवं खातेदार को अपूरणीय क्षति होगी। विपक्षी संख्या 1 खातेदार काश्तकार होने से खातेदार को अपनी भूमि के उपयोग उपभोग का पूरा अधिकार हैं। विपक्षी संख्या 1 काउन्टर प्रार्थना पत्र के जरिये प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 2, 3 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराना चाहती है परन्तु विपक्षी संख्या 1 द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 2, 3 द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में दखलन्दाजी करते हो। प्रार्थी का कथन है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 2, 3 की पैतृक सम्पति है प्रार्थी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:05:16 IST
Reason: SelfAttested

इस बिन्दू को इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से तय नहीं किया जा सकता हैं। प्रार्थी द्वारा उठाये गये तथ्य मूल वाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर तय किये जा सकते हैं। वर्तमान में अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में विपक्षी संख्या 1 खातेदार काश्तकार होने से खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती हैं। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई ठोस कारण भी नही बताया गया जिससे यह प्रतीत होता हो की खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना अत्यन्त आवश्यक हो।

प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू भी प्रार्थी के विरूद्व साबित हुए हैं। शेष अन्य बिन्दू मूल वाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर तय किये जावेगे। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एवं विपक्षी संख्या 1 का काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाये जाते हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एवं विपक्षी संख्या 1 का काउन्टर प्रार्थना स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाते है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:05:16 IST
Reason: SelfAttested